[Shri Alagesan]

section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.

(ii) Review by the Government on working of the above Company.

[*Placed in Library. See* No. LT-2498/64].

OPINIONS ON BILL

Shrimati Lakshmikanthamma (Khammam): I beg to lay on the Table Paper No. 1 to the Bill further to amend the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure, 1898, which was circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the direction of the House on the 13th September, 1963.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha:—

'In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 162 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (Railways) Bill, 1964, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 3rd March, 1964, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill.'

12.20 hrs.

RE: MALTREATMENT OF AN M.P. IN AMBALA JAIL

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद): माननीय सदस्यों के जहां कहीं आत्म-सम्मान और शरीर पर आंच आती हो और उनका आदर करने की बात सभी कहते हों तो तिरस्कार की हंसी जहां तक हो सके नहीं होनी चाहिये और कम से कम इतना खयाल तो रखा ही जाना चाहिये ।

दूसरे कानून और व्यवस्था के कलपुर्जे इतने घिसते चले जा रहे हैं जितने अपने देश में तो ऐसी बातों पर पूरी बहस हो जाना उचित हुआ करता है । बस इतना ही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी): जब प्रश्न माननीय सदस्य कछवाय को ले कर उठ रहे थे और आपको जो पत्र लिखा गया था, उसको आपने मंत्री महोदय को भेज दिया था तो एक माननीय सदस्य ने इस बीच में सदन में उठ कर कह दिया कि उनके साथ अच्छा सलूक हुआ था तभी तो उनका वजन बढ़ गया । यह चीज अगर रिकार्ड पर रहती है तो खराब है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह रिकार्ड पर आ गई हो तो इसको निकाल दिया जाये ।

श्री बड़े (खारगोन): मेरा निवेदन यह है कि अभी तो हमारे जख्मों पर नमक छिड़का गया है, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं । हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है । हमारे विरोधी दल के लोग जब जेल में जाते हैं तो उस वक्त उनको जेल में किस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है, उसको यहां हम ब्यान नहीं कर सकते हैं । दो दो दिन . . . .

अध्यक्ष महोदय: उसकी तहकीकात हो लेने दीजिये ।

श्री भगवत झा आजाद (भागलपुर): जेल में हम भी रहे हैं ।

श्री बड़े: मैं चाहता हूं कि एक पार्लिमेंटरी कमेटी या कमीशन इस तरह का बिठाया जाये जोकि इन सब आरोपों की जांच करे ।